

# कार्यालय नगर परिषद चौमू (जयपुर)

क्रमांक: अग्निशमन/न.प.चौमू /फायर /2024/ 7076

दिनांक 26/02/2024

प्रेषित :-

आवेदक का नाम :- श्री विनायक चौधरी (सेक्रेटरी)

आवेदक का पता :- वार्ड न.18 कचोलिया रोड चौमू, जयपुर

विषय :- अग्निशमन यंत्र / उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से अभिशंषा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत |

उपरोक्त विषय में आपका आवेदित स्थल वार्ड न.18 कचोलिया रोड चौमू, में निर्मित इकाई Vinayak International School Run By Shree Vinayak Vidya Vihar Shiksha Samiti का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्तानुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह अभिशंषा पत्र जारी किया जाता है :-

शर्तें :-

1. प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा | एक वर्ष के पश्चात् अभिशंषा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा उक्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा |
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा |
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा |
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम-उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा
5. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है |
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे |
7. उक्त प्रमाण पत्र केवल मात्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गए नक्शे के लिए ही मान्य होगा
8. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिए खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा |
9. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे |
10. उक्त प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिए मान्य होगा |
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे |
12. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा |

उपरोक्त शर्तों का अक्षरक्षः पालना करनी होगी अन्यथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 (एफ) के तहत कार्यवाही अमल में लायी होगी जावेगी

PRINCIPAL

Vinayak International School  
Chomu (Jaipur)

सहायक अग्निशमन अधिकारी  
सहायक अग्निशमन अधिकारी  
अग्निशमन केंद्र-चौमू (जयपुर)  
नगर परिषद चौमू